शुद्धि-पत्र

दिनांक 12 जनवरी, 1982

क्रमांक **1839-ज(II)-82/1432.**—हरियाणा सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 1553-ज(II)-82/35147, दिनांक 6 अक्तूबर, 1982 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 26 अक्तूबर, 1982 को प्रकाशित हुई है, की तीसरी लाईन में "गांव सुनारी, तहसील कलां, व जिला रोहतक" की बजाये "गांव सुनारी कलां, तहसील व जिला रोहतक" पढ़ा जाये ।

क्रमांक **1946-ज(II)-82/1436.**—श्री सूरत सिंह, पुत्र श्री आशा राम, गांव जसावर खेड़ी, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, की दिनांक 6 अक्तूबर, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सूरत सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6093-आर-4-67/4503, दिनांक 29 नवम्बर, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती धनकौर के नाम खरीफ, 1977 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।

दिनांक 13 जनवरी, 1983

क्रमांक **1933-ज(I)-82/1589.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती राज कुमारी बख्शी, विधवा श्री सतदेव बख्शी, निवासी अम्बाला शहर, तहसील व जिला अम्बाला, को रबी, 1982 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

दिनांक 14 जनवरी, 1983

क्रमांक **1826-ज(I)-82/1636.**—श्री रामरिख, पुत्र श्री जसराम, गांव सहजावास, तहसील व जिला गुड़गावां, की दिनांक 25 अप्रैल, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री रामरिख को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 15373-जे.एन.-III-66/18550, दिनांक 29 अगस्त, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती तरीफो देवी के नाम खरीफ, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।

दिनांक 18 जनवरी, 1983

क्रमांक **1982-ज(II)-82/2036.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री श्रीराम, पुत्र श्री लालमन, गांव सहलंग, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1974 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

टी० आर० तुली,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,

राजस्व विभाग ।